।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372–252175

पत्रांक 4780 / 12–1 , गोपेश्वर, दिनांक 07/06 2018।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।

विषयः– **जनपद चमोली के अन्तर्गत थिरपाक–काण्डई मोटर मार्ग के किमी0 02 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.367 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड़ देहरादून की पत्र संख्या–3589 / FP/UK/ROAD/11421/2015 दिनांक 05–05–2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय देहरादून की पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 152 / 2016 / एफ0सी0 / 174 दिनांक 20-04-2018 से कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार धनराशि हेतु मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा हैः–

1. शर्त सं0–01 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.734 है0 ग्राम–तोलना सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रू0 13,19,200.00 (रू0 तेरह लाख उन्नीस हजार दो सौ) मात्र जमा की जानी है।
2. शर्त सं0–02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रू 20,00,115.00(रू बीस लाख एक सौ पन्द्रह) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	घनत्व	धनराशि	है0	देय धनराशि (लाख में) कॉलम(3 X 4)
1	2	3	4	5
V	0.4	8,45,000.00	2.367	20,00,115.00

3. शर्त सं0–03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्वता प्रस्तुत करनी होगी।
4. शर्त सं0 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 व शर्त 02 में देय धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जायेगी, तत्पश्चात सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन अख्या संलग्नकों सहित ऑनलाईन अपलोड करें, जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑनलाईन / हार्ड कॉपी में प्रेषित करें।
5. शर्त सं0–05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभवं हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।

6- State Govt. will upload details of non forest land area involved at designated places in online Part I.

अतः आप भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में उपरोक्त अधिरोपित शर्तो की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए ऑन लाईन भी अपलोड करने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पंत्राकः– 4780 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।